न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2279/2003/बीकानेर

1. खेताराम पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. गणेशाराम
2. बगताराम पुत्रगण पुरखाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री डूंगर सिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांक 29.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–02–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–3 के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बाना तहसील श्रीडूंगरगढ स्थित पुराने खसरा नम्बर 132 रकबा 29बीघा 03बिस्वाव जिसके नवीन खसरा नम्बर 155 रकबा 28बीघा 12बिस्वा मुमकिन एवं 11बिस्ववा गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो वादी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है तथा खेत में ट्यूबवैल तथा खेत के चारो तरफ तारबन्दी व बाड बनी है। बाना गांव से एक रास्ता पुन्दलसर जाने के लिए खसरा नम्बर 146 में से होता हुआ खसरा नम्बर 147 में जो किशनाराम पुत्र लालूराम जाट का खेत है में से होता हुआ पुन्दलसर गांव को जाता है। उक्त रास्ता वादी के खेत पडौसी खातेदार पुरखाराम के खेत में से होता हुआ गुजरता है, जो गत सैकडो वर्षो से चला आ रहा है। परन्तु गत सेटलमैन्ट के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने उसके खेत खसरा नम्बर 155 में एक रास्ता प्रदर्शित कर दिया, जो वास्तविक चालू रास्ते से पश्चिम में दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या–3 व पंचायत की पार्टीबाजी से रास्ता कायम करने की धमकी अपीलार्थी को दी गयी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके खातेदारी के खसरा नम्बर 155 में कायम किये गये गैर मुमकिन रकबे के इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सरकार को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

17–05–2002 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–02–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–05–2002 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी पुराने खसरा नम्बर 132 रकबा 29बीघा 03बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार था किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने कानून के विपरीत एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के नये खसरा नम्बर 155 बनाते समय 28बीघा 12बिस्वा मुमकिन व 11बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से रास्ता दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को रिकार्ड के पुराने इन्द्राजात को रिपीट करने का अधिकार है किसी की खातेदारी भूमि को कम या ज्यादा दर्ज करने का अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 146 व 147 में से होता हुआ जो रास्ता गुजरता है वह कदीमी है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में भी यह माना है कि खसरा नम्बर 155 में से मौके पर कोई रास्ता नहीं है बल्कि खसरा नम्बर 146 व 147 में से कदीमी

रास्ता मौके पर चालू है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को अनिर्णीत रखकर त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बाना के खसरा नम्बर 146, 477/10 व 481/75 की 92बीघा 18बिस्वा भूमि उनके पक्षकार के पिता पुरखाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। उनका कथन है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार उनके पखकार की खातेदारी की भूमि में से होता हुआ खेत खसरा नम्बर 15 से होता हुआ पुन्छलसर जाने का रास्ता है, जो अपीलार्थी खेताराम के पिता के समय से कायम है। उनका कथन है कि वादी अपीलार्थी ने रास्ते की भूमि बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायमी का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार

की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 91 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–3 सरकार के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उसके खातेदारी के खसरा नम्बर 155 में कायम किये गये गैर मुमकिन रकबे के इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने की घोषणा जारी कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद में प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 17–05–2002 से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। साथ ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 155 के नक्शे में जो रास्ता प्रदर्शित किया गया है उसे हटाया जावे तथा जो वास्तविक चालू रास्ता खसरा नम्बर 146 में होता हुआ खसरा नम्बर 147 में प्रवेश कर गांव पुन्दलसर को जाता है, नक्शा एक्स में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने

प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 146 में रास्ते का इन्द्राज नक्शें में किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 पक्षकार संयोजित ही नहीं थे, जिन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

8. जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी को अनिर्णीत रखे जाने का प्रश्न है, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार पेश नहीं हुआ है। यह प्रार्थनापत्र न तो शामिल मिसल है और ना ही इसका अंकन अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में लिखी गयी आदेशिका में है एवं इस प्रार्थनापत्र की प्रति भी विपक्षी अधिवक्ता को दिया जाना सिद्ध नहीं है तथा प्रार्थनापत्र में अंकित दिनांकों में भी अन्तर है। इसलिए उक्त कारणों से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी संदिग्ध होने एवं नियमानुसार अभिलेख पर शामिल मिसल नहीं होने से अधिवक्ता अपीलार्थी की उक्त आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जब यह मान लिया गया कि अपीलार्थीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 को विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था ताकि प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता तथा मूल वाद में विधिसम्मत् निर्णय पारित होता किन्तु अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं कर अपने स्तर पर ही अपील को स्वीकार कर मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–05–2002 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य–सुनवाई, जवाबदेही का अवसर प्रदान कर नियमानुसार विधिनुकूल निर्णय तीन माह में पारित करें। तब तक दोनों पक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखेगें।

11. पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) बीकानेर के न्यायालय में दिनांक 17–09–2019 को उपस्थित होकर मूल वाद के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष